रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-21032023-244532
CG-DL-E-21032023-244532

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1276] नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 21, 2023/फाल्गुन 30, 1944
No. 1276] NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 21, 2023/PHALGUNA 30, 1944

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 मार्च, 2023

(आयकर)

का.आ. 1329(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 120 की उपधारा (1) और (2) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तथा अधिसूचना सं. 141/2021, दिनांक 29 दिसम्बर, 2021, जिससे का.आ 5449(अ), दिनांक 29.12.2021 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में प्रकाशित किया गया था, के आशिंक आशोधन में केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, एतदद्वारा, नीचे दी गई अनूसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट है। प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर, जिनके मुख्यालय उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट स्थानों पर हैं, को इस बात के लिए प्राधिकृत करता है कि वे ऐसे अधिकार क्षेत्र या ऐसे व्यक्तियों, या व्यक्तियों के वर्ग या ऐसे आय वर्ग की आय या ऐसे मामले या ऐसे मामलों के वर्ग जो कि ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट हों के संबंध में उक्त अनूसुची के कॉलम (4) की तत्संबंधी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट आयकर प्राधिकारियों को, जो कि उनके अधीनस्थ हों, शक्तियों का प्रयोग करने और कार्यों को पूरा करने के लिए लिखित में आदेश जारी कर सकता है।

2. बशर्ते कि ऐसा कोई भी आदेश जारी नहीं किया जाएगा जिससे कि अपीलिय कार्यों को करने में आयकर आयुक्त (अपील) के विवेकाधिकार में कोई हस्तक्षेप होता हो।

अनुसूची

क्रम सं.	पदनाम	मुख्यालय	आयकर प्राधिकारी
1.	प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर, कर्नाटक और गोवा	बैंगलुरु	आयुक्त, आयकर (अपीलीय) बैंगलुरु-15
2.	प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर, तमिलनाडु और पुडुचेरी	चेन्नई	आयुक्त, आयकर (अपीलीय), चेन्नई-20
3.	प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर, राजस्थान	जयपुर	आयुक्त, आयकर (अपीलीय), जयपुर-5
4.	प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर, वेस्ट बंगाल और सिक्किम	कोलकाता	आयुक्त, आयकर (अपीलीय), कोलकाता-26
5.	प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर, वेस्ट बंगाल और सिक्किम	कोलकाता	आयुक्त, आयकर (अपीलीय), कोलकाता-27
6.	प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर, उत्तर प्रदेश (पश्चिमी)	नोएडा	आयुक्त, आयकर (अपीलीय), नोएडा-3
7.	प्रधान मुख्य आयुक्त, आयकर, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़	रायपुर	आयुक्त, आयकर (अपीलीय), रायपुर-3

3. यह अधिसूचना 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।

[अधिसूचना सं.14/2023/फा. सं 279/ विविध/66/2014-आईटीजे (खंड)]

अखिलेश कुमार यादव, उप सचिव (आईटीजे)